उत्तराखण्ड शासन
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2,
संख्या267/07–XIX-2–22 वि०/2007
देहरादून : दिनाँक : 31 अक्टूबर, 2007

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार की राय है कि चावल का संभरण बनाये रखने और उसका साम्यिक वितरण और यथोचित मूल्यों पर उसकी प्राप्यता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है।

अतएव अब उत्तर प्रदेश चावल और धान (उद्ग्रहण और व्यापार विनियम) आदेश, 1985, जो उत्तराखण्ड राज्य में यथास्थिति प्रभावी है, के खण्ड –25 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके महामहिम, श्री राज्यपाल निम्नलिखित अनुपूरक उपबन्ध बनाते हैं और आदेश देते हैं कि यह आवश्यक परिवर्तन सहित उक्त आदेश के भाग होंगे :–

1. विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत चावल का उद्ग्रहण और क्रय:–

1.1 खरीफ क्रय वर्ष 2007–08 में उद्ग्रहण योजना के अधीन लेवी चावल का उद्ग्रहण और क्रय समय-समय पर यथा संशोधित उपर्युक्त आदेश के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा। प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ए०पी०एल०/बी०पी०एल० तथा अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत वार्षिक आवश्यकता के अनुरूप लेवी में खरीदा गया चावल तथा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खरीदे गये धान की कस्टम हलिंग से प्राप्त चावल राज्य सरकार की आवश्यकतानुसार स्टेट पूल में संग्रहीत किया जायेगा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सीधे राजकीय गोदामों से उचित दर की दुकानों एवं वितरण एजेन्सी को निर्गत किया जायेगा। अवशेष चावल केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को दिया जायेगा।

उन्ही राइस मिलर्स से चावल पर लेवी ली जायेगी जिनके द्वारा कृषकों से वर्ष 2007–2008 हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दर पर धान की खरीद न की गयी हो तथा इस निमित्त मण्डी समितियों के अभिलेखों से पुष्टि कर दी गयी हो वर्ष 2007–2008 में उत्तराखण्ड राज्य के अर्न्तगत कार्यरत चावल मिलों से केवल उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित धान से निर्मित चावल पर ही लेवी ली जायेगी, जो उत्तराखण्ड के कृषकों द्वारा उत्तराखण्ड की मण्डियों में ही बेचा गया हो तथा जिस पर मण्डी शुल्क तथा क्रय कर (व्यापार कर) उत्तराखण्ड में अदा कर दिया गया हो । लेवी योजना के अर्न्तगत दिनाँक 31–12–2007 तक अथवा आवश्यकता पड़ने पर उससे पूर्व मिलर्स द्वारा धान खरीद की स्थिति की समीक्षा करने के उपरान्त ही अन्य प्रदेशों से मिलर्स द्वारा क्रय किये गये धान पर लेवी लेने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा ।

उत्तराखण्ड में अन्य राज्यों से आने वाले धान की द्वितीय आवक की

मात्रा का सत्यापन सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि मण्डी परिषद द्वारा प्रादेशिक सीमा पर स्थापित व्यापार कर विभाग की चैक पोस्टों पर यथा आवश्यकता अपने कार्मिकों को अधिकृत करते हुये तैनात किया जायेगा, जो प्रदेश के बाहर से आने वाले धान की द्वितीय आवक से सम्बन्धित प्रपत्रों (यथा 9-आर एवं बिल इत्यादि) को चैक पोस्ट पर सत्यापित करते हुये मोहर सहित सदिनाँक हस्ताक्षर करेंगे। इस निमित्त व्यापार कर चैक पोस्टों पर तैनात व्यापार कर विभाग के ही सक्षम कार्मिकों को भी अधिकृत किया जा सकता है।

1.2. खरीफ क्रय वर्ष 2007–08 के अन्तर्गत राज्य के मिलर्स द्वारा दिनांक 01–10–2007 से 31–03–2008 तक खरीदे गये धान पर लेवी चावल का उद्ग्रहण व क्रय दिनाँक 01–11–2007 से प्रारम्भ होगा तथा लेवी चावल की डिलीवरी दिनांक 30–06–2008 तक ली जायेगी।

1.3. विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत ए०पी०एल०/ बी०पी०एल०/अन्त्योदय अन्न योजना में प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता के समतुल्य मात्रा में चावल स्टेट पूल में राज्य सरकार द्वारा अपने गोदामों के साथ-साथ एस०डब्ल्यू०सी० तथा सी०डब्ल्यू०सी० द्वारा स्वयं के अथवा किराये पर लिये गये गोदामों में अपनी कस्टडी में संग्रहीत किया जायेगा।

1.4. स्टेट पूल के अन्तर्गत संग्रहण ऐजेन्सियों के गोदामों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण-निर्दिष्टियों का चावल प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित स्टेट पूल डिपो पर तैनात वरिष्ट विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक तथा संग्रहण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। भण्डारण के उपरान्त चावल की गुणवत्ता एवं सुरक्षा का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित संग्रहण ऐजेन्सी का होगा।

1.5 प्रदेश में स्थित एस०डब्लयू०सी० तथा सी०डब्लयू०सी० के प्रत्येक गोदाम में जहाँ चावल का भण्डारण स्टेट पूल के अन्तर्गत किया जायेगा वहाँ खाद्य विभाग का स्टॉफ तैनात होगा, जो चावल की मात्रा/गुणवत्ता की जाँच के उपरान्त चावल का स्टॉक प्राप्त करेगा। पुनः ए०पी०एल०/ बी०पी०एल०/अन्त्योदय अन्न योजना में निर्गमन के समय खाद्य विभाग का ही स्टॉफ उसे अपनी देख-रेख में सम्बन्धित वितरण एजेन्सी को निर्गत करेगा। इस निमित्त कोई अतिरिक्त स्टॉफ की नियुक्ति नहीं की जायेगी और वर्तमान स्टॉफ से ही कार्य लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2. <u>उद्ग्रहण एजेन्सी तथा क्रय:-</u>

2.1. लेवी चावल की वसूली का कार्य राज्य सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की विपणन शाखा के द्वारा किया जायेगा।

2.2. चूँकि खरीफ-खरीद सत्र 2007–08 हेतु भारत सरकार से लेवी चावल की दरें अभी प्रतिक्षित हैं, अतएव खरीफ-खरीद वर्ष 2006–07 हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या–167(8)/2006-PY-I, दिनाँक 28–11–2006 द्वारा प्राप्त दरें ही उत्तराखण्ड राज्य हेतु खरीफ विपणन सत्र 2007–08 के लिये निम्नवत अनुमन्य होंगी खरीफ-खरीद सत्र 2007–08 हेतु भारत सरकार से लेवी चावल की दरें प्राप्त होने पर तद्नुसार संशोधित किया जायेगा। खरीफ-खरीद वर्ष 2006–07 की लेवी चावल की दरें निम्नवत निर्धारित है :-

किस्म चावल	अरवा रूपये प्रति कुंटल	सेला रूपये प्रति कुंटल
कॉमन	1054.30	1054.70
ग्रेड-ए	1102.10	1101.60

टिप्पणी :-

क- ऊपर दिये गये मूल्य में चावल के स्तर पर आरोपित होने वाले समस्त कर तथा चावल मिलों से भारतीय खाद्य निगम/स्टेटपूल डिपो तक लेवी चावल की डिलीवरी हेतु 08 किलोमीटर तक की दूरी के लिए फारवर्डिंग तथा परिवहन चार्ज भी सम्मिलित है। 08 किमी० से अधिक दूरी के लिए जिलाधिकारी द्वारा खरीफ-खरीद सत्र 2007-2008 हेतु अनुमन्य स्थानीय परिवहन दर तथा भारतीय खाद्य निगम की दरें, जो भी कम हों, राइस मिलर्स को अनुमन्य होगीं ।

ख- उपरोक्त लेवी चावल के मूल्य में 50 किग्रा० भरती के दो नये बोरों का मूल्य भी सम्मिलित है । चावल मिलों को बोरे के मूल्य की पृथक से किसी धनराशि की प्रतिपूर्ति नही की जायेगी ।

2.3 स्टेटपूल योजना में चावल की अधिकतम संग्रह मात्रा 1.60 लाख मी०टन होगी जिसमें मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये धान से निर्मित चावल की मात्रा के अतिरिक्त लेवी योजनान्तर्गत चावल मिलरों से क्रय किये गये चावल की मात्रा भी सम्मिलित होगी । विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत स्टेटपूल हेतु लेवी चावल के क्रय हेतु सम्भागवार मासिक लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

क्रम संख्या	माह का नाम	सम्भागवार चावल क्रय का लक्ष्य (मात्रा मी०टन में)		योग
		कुमाँयू सम्भाग	गढवाल सम्भाग	
1	नवम्बर, 2006	20,000.00	5,000.00	25,000.00
2	दिसम्बर, 2006	30,000.00	5,000.00	35,000.00
3	जनवरी, 2007	25,000.00	5,000.00	30,000.00
4	फरवरी, 2007	20,000.00	3,000.00	23,000.00
5	मार्च, 2007	10,000.00	2,000.00	12,000.00
योगः-				1,25,000.00
मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत मिलने वाले सम्भावित कस्टम मिल्ड चावल की मात्रा				35,000.00
महायोगः-				1,60,000.00

स्टेटपूल योजनान्तर्गत संग्रहीत किये जाने वाले चावल हेतु निर्धारित उपरोक्तानुसार मात्रा में लेवी चावल एवं मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत क्रय किये गये धान से निर्मित चावल की मात्रा भी सम्मिलित है । यदि स्टेट पूल हेतु उपरोक्तानुसार कस्टम मिल्ड चावल प्राप्त नहीं होता है तो स्टेट पूल हेतु निर्धारित लक्ष्य 1,60,000.00 मी०टन के सापेक्ष अवशेष मात्रा लेवी चावल से पूरी की जायेगी। सम्भागों हेतु निर्धारित मासिक लक्ष्य से अधिक चावल की खरीद कदापि नहीं की जायेगी।

2.4. लेवी योजना के अधीन लेवी चावल की खरीद उत्तर प्रदेश चावल और धान (उद्ग्रहण और व्यापार विनियमन) आदेश, 1985 में विहित सांविधिक सीमा के भीतर की जायेगी।

2.5. चावल मिलों से कोई अग्रिम लेवी नहीं ली जायेगी।

2.6.(क) यह पाये जाने पर कि राईस मिलर द्वारा धान खरीद में अनियमितता पायी गयी है, तो उससे भी लेवी नही ली जायेगी ।

2.6(ख) जिन मिलों/मिल मालिको के विरूद्ध आपराधिक मामले चल रहे है अथवा सरकारी नजूल भूमि पर अवैध धान मिल काबिज कर रखा है अथवा अन्य कोई सरकारी सम्पत्ति को खुर्दबुर्द कर दिया गया है, ऐसी मिल/मिल मालिको से लेवी स्वीकार नही की जायेगी ।

2.7. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि अन्य खाद्यान्न कार्यक्रमों यथा सम्पूर्ण ग्रामीण योजना, मिड-डे-मील योजना इत्यादि में निर्गत हुआ चावल किसी प्रकार लेवी चावल के रूप में **recycle** न होने पाये । जिन राईस मिलरों को इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाया जायेगा, उन्हें काली सूची में रख दिया जायेगा एवं उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

3. <u>लेवी की दर</u> :-

3.1 चावल की खरीद चावल मिलों पर लेवी लगाकर की जायेगी। सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में लेवी की दर 60 प्रतिशत रहेगी।

3.2 लेवी चावल की खरीद उन्हीं चावल मिलों से की जायेगी, जिनकी न्यूनतम कुटाई क्षमता 0.5 मी०टन प्रति घंटा हो एवं जिसमें निम्नलिखित मशीनरी स्थापित हो :-

1 पैडी क्लीनर
2 रबर रेल सेलर या सेन्ट्रीफयूगल डिहस्कर
3 पैडी सेपरेटर
4 पॉलिशर

3.3. लेवी चावल की खरीद प्रस्तर-3.2 में उल्लिखित ऐसी चावल मिलों से की जायेगी जो व्यापार कर विभाग में पंजीकृत हो तथा उसके पास मण्डी समिति का वैध लाइसेन्स हो।

3.4. व्यापारियों से लेवी नहीं ली जायेगी तथा जिस धान/चावल पर चावल मिल द्वारा लेवी दी जा चुकी हो उस पर दोबारा लेवी नहीं ली जायेगी।

3.5. निर्यात प्रोत्साहन हेतु बासमती तथा पूसा बासमती (1) चावल पूर्णतः लेवी मुक्त रहेगा तथा अन्य प्रकार के केवल निर्यात किये जाने वाले चावल की मात्रा को भी लेवी से पूर्णतः मुक्त रखा जायेगा।

4. **बासमती तथा पूसा बासमती (1) चावल के संचरण की व्यवस्था** :-

बासमती तथा पूसा बासमती (1) चावल का निर्यात करने वाली इकाइयों को संचरण प्रमाण पत्र के स्थान पर घोषणा पत्र देने की व्यवस्था होगी।

इसके अतिरिक्त बासमती तथा पूसा बासमती (1) चावल की गैर निर्यातक इकाइयों जिनके द्वारा बासमती तथा पूसा बासमती का विक्रय स्थानीय बाजार में किया जाता है, के लिये उक्त बासमती/पूसा बासमती (1) चावल के संचरण हेतु संचरण प्रमाण पत्र के स्थान पर घोषणा पत्र देने की व्यवस्था होगी। बासमती/पूसा बासमती (1) चावल के निर्यातकों/उत्पादकों को उनके द्वारा प्रत्येक माह में निर्यात/उत्पादित/बिक्री किये गये चावल के सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप (संलग्न-1) में घोषणा पत्र अगले माह के प्रथम सप्ताह तक सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक के माध्यम से खाद्य आयुक्त/शासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

4(क)- प्रदेश में सेला चावल की खपत न होने के कारण स्टेट पूल में सेला चावल स्वीकार नहीं किया जायेगा। सेला चावल केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा ग्रहण किया जायेगा। स्टेट पूल में सेला चावल के बदले अरवा चावल दिया जा सकता है।

4(ख)- स्टेट पूल में चावल का क्रय लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु किया जाता है, जिसमें यथा सम्भव कॉमन चावल की आवश्यकता होती है। अतएव ग्रेड-ए चावल के बदले लेवी में कॉमन अरवा चावल लिया जा सकता है। ग्रेड ए चावल केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा ग्रहण किया जायेगा।

5. **अवमुक्त चावल का निस्तारण** :-

चावल मिलर्स अपने अवमुक्त चावल के भाग को खुले बाजार में रिलीज सर्टिफिकेट के आधार पर विक्रय कर सकते हैं।

6. **चावल की गुण-विनिर्दिष्टियाँ** :-

(क)- खरीफ-खरीद वर्ष 2007-08 हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या-8-4/2007-S&I दिनाँक 23-08-2007 द्वारा चावल खरीद हेतु गुण-विनिर्दिष्टियाँ जारी की गयी हैं, जो निम्नवत है :-

(विपणन सत्र 2007-08)

निम्नलिखित अनुसूची में इंगित सीमा तक के सिवाय चावल ठोस, बिक्री योग्य, मीठा, सूखा, साफ, सम्पूर्ण और आहार सम्पूर्णता से सगुण स्वास्थ्यप्रद, रंग और आकार में एक समान होगा और फफूंदी, घुनों, दुर्गंध, विषाक्त तत्वों के सम्मिश्रण, किसी भी रूप में आर्जिमोन मैक्सीकाना और लैथिरिस सैटिवस (खेसारी) या रंजक एजेंटों और समस्त अशुद्धियों से मुक्त होगा और खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के अनुरूप भी होगा :-

विनिर्दिष्टियों की सूची

क्र०सं०	घटक	अधिकतम सीमा (प्रतिशत)	
1	टूटन- एक प्रतिशत छोटी टूटन सहित	ग्रेड-ए	सामान्य
	अरवा	25.0	25.0
	सेला	16.0	16.0
2	विजातीय पदार्थ-अरवा/सेला	0.5	0.5
3	क्षतिग्रस्त/मामूली क्षतिग्रस्त दानें		
	अरवा	2.0	2.0
	सेला	4.0	4.0
4	बदरंग दानें		
	अरवा	3.0	3.0
	सेला	5.0	5.0
5	चाकी दानें		
	अरवा	5.0	5.0
6	लाल दानें अरवा/सेला	3.0	3.0
7	निम्नवर्गों का मिश्रण :- अरवा/सेला	6.0	--
8	चोकर सहित दानें :- अरवा/सेला	12.0	12.0
9	नमी के तत्व :- अरवा/सेला	14.0	14.0

चावल (अरवा/सेला) अधिकतम 14 प्रतिशत नमी की सीमा तक चावल के मूल्य में कोई कटौती नहीं की जायेगी। 14 से 15 प्रतिशत तक नमी की दशा में Full Value Cut पर चावल क्रय किया जायेगा (15 प्रतिशत से अधिक नमीयुक्त चावल स्वीकार नहीं किया जायेगा) चावल में 0.25 प्रतिशत (भार आधार पर) mineral matter तथा 0.10 प्रतिशत (भार आधार पर) animal origin की impurities की अधिकतम सीमा होगी।

उपर्युक्त संघटकों की परिभाषा पर विश्लेषण की नीति का उसी प्रकार पालन किया जायेगा, जैसा कि समय-समय पर यथा संशोधित ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्स मैथड ऑफ अनालिसिस ऑफ फूडग्रेन्स संख्या-आई०एस०-4333 (भाग-1)-1996 और आई०एस०-4333 (भाग-2) 2002 "टर्मिनोलोजी फार फूडग्रेन्स" आई०एस०-2813-1995 में दिया गया है। भूसी निकले दानें चावल के पूरे या टूटन जिसके दानें की सतह क्षेत्र का 1/4 से अधिक भाग भूसी से ढका हो और निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगा :-

विश्लेषण प्रक्रिया :-

(1) 05 ग्राम चावल (पूरे लोस दानें और टूटन) एक पेट्रीडिश (80 X 70 मि०मी०) में लें। लगभग 20 मि०मी० के मैथलिन नीले घोल में (आसवित जल में वजन में 0.05 प्रतिशत) दानें डुबायें और लगभग एक मिनट तक रहने दें। मैथलिन नीला घोल उडेल दें। लगभग 20 मि०मी० पतले हाईड्रोक्लोरिक ऐसिड के साथ घुमाकर धोयें और लगभग 20 मिली०

मि०ली० मैथनिल पीला घोल नीले धाब्बे वाले दानों पर उडेलें (आसवित जल में वजन में 0.05 प्रतिशत) और लगभग 01 (एक) मिनट तक रहने दें। निस्तारी उडेलें और ताजे जल के साथ दो बार धोयें। धब्बे वाले दाने ताजे जल में नीचे रखे और भूसी निकले दोनों की गणना करें।

विश्लेषण के अधीन 05 ग्राम के नमूने में दोनों की कुल संख्या की गणना करें। तीन टूटे हुए दानों की गणना एक पूरे दाने के रूप में की जायेगी।

संगणना :-

चोकर युक्त दानों का प्रतिशत = $\frac{\text{न} \times 100}{\text{ब}}$

जहाँ न = 05 ग्राम के नमूने में चोकर युक्त दानों की संख्या

ब = 05 ग्राम के नमूने में दानों की कुल संख्या।

(2) नमूने लेने की रीति का पालन उसी प्रकार किया जायेगा जैसे कि समय-समय पर यथा संशोधित ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड "मैथड ऑफ सैम्पुलिंग ऑफ सिरियल्स एण्ड पल्सेज" आई०एस०-14818-2000 में दिया गया है।

(3) पूरे दाने के 1/8 भाग से कम टूटन को कार्बनिक विजातीय पदार्थ माना जायेगा। टूटन के आकार अवधारण के लिये चावल के मूल वर्ग की औसत लम्बाई की गणना की जानी चाहिये।

(4) चावल की किसी भी लाट में अकार्बनिक विजातीय पदार्थ 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यदि यह अधिक हो, तो स्टॉक को साफ किया जायेगा और उसे इसे सीमा के अन्दर लाया जायेगा। चावल की सतह पर मिट्टी लगे दानों या दानों के टुकड़ों को अकार्बनिक विजातीय पदार्थ माना जायेगा।

(5) दबाव अधोषणा तकनीक से तैयार किये गये सेला चावल की स्थिति में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अधोषण करने की शर्तें प्रक्रिया अपनायी गयी है अर्थात प्रेषण करने से पूर्व डाला गया दबाव, समय जब तक दबाव डाला गया है, समुचित शल्लेषण यातन और शुष्कन इतना पर्याप्त हो, जिससे कि सेला चावल का रंग और पकाने का समय अच्छा हो और दानों की पपड़ी से मुक्त हो।

7. लेवी चावल खरीद का लक्ष्य तथा भण्डारण :-

खरीफ वर्ष 2007-08 में लेवी चावल क्रय का कार्यकारी लक्ष्य 3.00 लाख मी०टन निर्धारित किया जाता है। लेवी चावल का उद्ग्रहण मिलर्स द्वारा खरीदे गये धान से उत्पादित चावल के 60 प्रतिशत की सांविधिक सीमा तक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत किया जायेगा।

लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य की चावल की आवश्यकता 1.60 लाख मी०टन है। प्रदेश में इस वर्ष धान खरीद का कार्यकारी लक्ष्य 0.50 लाख मी०टन रखा गया है। इससे लगभग 0.35

लाख मी०टन चावल प्राप्त होगा, जो स्टेटपूल में जन वितरण प्रणाली में प्रयोग हेतु भण्डारित किया जायेगा। जन वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक अवशेष 1.25 लाख मी०टन चावल लेवी से प्राप्त कर स्टेटपूल में रखा जायेगा। स्टेटपूल की आवश्यकता से अधिक उद्ग्रहीत लेवी चावल भारतीय खाद्य निगम को केन्द्रीय पूल में दिया जायेगा। मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की अधिक या कम खरीद होने पर अधिक/कम कस्टम मिल्ड चावल प्राप्त होने की स्थिति में कस्टम मिल्ड चावल/लेवी चावल को स्टेट पूल में भण्डारित की जाने वाली मात्रा में यथा आवश्यकतानुसार आयुक्त (खाद्य) द्वारा संशोधन कर लिया जायेगा।

8. <u>अवशेष सी०एम०आर० की वसूली :-</u>

ऐसी राइस मिलों से लेवी चावल की डिलीवरी तब तक न ली जाये, जब तक कि उनसे गत वर्षों का समस्त बकाया सी०एम०आर० प्राप्त न हो जाये।

9. <u>चावल का संग्रह एजेन्सी को सम्प्रदान एवं मिलर को भुगतान :-</u>

9.1 सम्भागीय खाद्य नियंत्रक अपने-अपने सम्भाग में प्रत्येक चावल मिल द्वारा खरीफ-खरीद सत्र 2007-08 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत राईस मिलरों से उनके द्वारा क्रय किये गये धान तथा मिल द्वारा वास्तविक रूप से की गयी धान की कुटाई के आधार पर ही लेवी में लिये जाने वाले चावल हेतु लाटों का निर्धारण करेंगे।

9.2 सेन्ट्रल पूल तथा स्टेट पूल में संग्रह हेतु जनपद में उपलब्ध भारतीय खाद्य निगम/एस०डब्लू०सी०/सी०डब्लू०सी० की भण्डारण क्षमता व मूवमेंट प्लान के अनुरूप चावल मिलों को गोदामों से सम्बद्ध किये जाने की कार्यवाही सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा गोदामों में लेवी चावल की सुचारू डिलीवरी हेतु वहाँ प्रतिदिन ट्रकों को उतारने की क्षमता को ध्यान में रखकर रोस्टर तैयार किया जायेगा, जिसकी प्रति खाद्य आयुक्त/ शासन को भी प्रेषित की जायेगी। सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी उक्त रोस्टर प्लान के अनुसार ही मूवमेंट चालान जारी किया जाना सुनिश्चित करेंगे। केन्द्र प्रभारियों द्वारा यदि लेवी चावल / सी०एम०आर० की बिना गुण निर्दिष्टियाँ सुनिश्चित किये एवं बिना ट्रकों में लोड हुए मूवमेन्ट चालान राइस मिलरों को एडवान्स निर्गत किया जाता है तो उनके विरूद्ध कठोरतम प्रशासनिक/विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

9.3 चावल मिलर निर्धारित गुण-विनिर्दिष्टियों के अनुरूप निर्मित चावल के लेवी अंश का ऑफर सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक को देगा। तैयार चावल को मिलर द्वारा ऑफर के उपरान्त निर्धारित गुण-विनिर्दिष्टियों के अनुरूप पाये जाने पर सम्बन्धित संग्रह एजेन्सी के डिपो पर डिलीवरी हेतु मिल पर तैनात वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन

निरीक्षक द्वारा उसका मूवमेंट चालान (संलग्न-2) जारी किया जायेगा।

चावल की खरीद का कार्य संग्रह ऐजेंसी के डिपो पर डिलीवरी के बाद ही पूर्ण माना जायेगा। संग्रहण एजेन्सियों द्वारा कस्टम मिल्ड राईस एवम लेवी चावल का लेखा-जोखा पृथक-पृथक रखा जायेगा।

9.4 मिल पर तैनात वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक का दायित्व होगा कि जो चावल की लाट परीक्षणोपरान्त केन्द्रीय/विकेन्द्रीकृत योजना में क्रय की जा रही है, उसके तीन नमूने आहरित कर दो नमूने सम्भागीय विश्लेषणशाला में प्रेषित किये जायेंगे व एक नमूना क्रय केन्द्र पर ही सुरक्षित रखा जायेगा, जब तक कि खरीफ-खरीद सत्र निर्विवाद रूप से सम्पन्न न हो जाये।

9.5 इस प्रकार ऑफर किये गये चावल को सीधे संग्रह एजेन्सी के डिपो पर प्रदत्त किया जायेगा। मिलर के गोदाम से संग्रह एजेन्सी के डिपो को चावल का परिवहन सम्बन्धित चावल मिलर द्वारा किया जायेगा। परिवहन के दौरान राज्य सरकार को कोई हानि या क्षति होती है, तो इसका भुगतान/समायोजन मिलर के देयकों से किया जायेगा।

9.6 यदि लेवी चावल के किसी लाट को गुण विनिर्दिष्टियों के आधार पर संग्रह एजेन्सी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो मिलर उसे अपनी लेवी मुक्त अंश से तत्काल बदल देगा। सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अस्वीकृत लाट के मूल्य व श्रेणी के समतुल्य नया लाट मिलर के अवमुक्त अंश से लेगा। इस प्रक्रिया में होने वाली हानि/बोरों की हानि अथवा अतिरिक्त व्यय सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता मिलर द्वारा वहन किया जायेगा।

9.7 लेवी चावल से भरा हुआ प्रत्येक ट्रक जो संग्रह एजेन्सी के डिपो पर डिलीवरी हेतु जायेगा, उसकी प्रविष्टि संग्रह एजेन्सी के गेट/इन्ट्री रजिस्टर में अनिवार्यतः की जायेगी। संग्रह एजेन्सी के डिपो पर भेजा गया कोई भी ट्रक किसी भी दशा में बिना गेट इन्ट्री रजिस्टर में दर्ज हुए तथा उसके बिना वजन लिये वापस नहीं किया जायेगा।

9.8 भारतीय खाद्य निगम के डिपो पर चावल की डिलीवरी किये जाने की दशा में एक लाट के सम्प्रदान के उपरान्त भारतीय खाद्य निगम से उसके मूल्य का भुगतान सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी/वित्त अधिकारी/सहायक वित्त अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

9.9 स्टेट पूल में संग्रह ऐजेन्सी को मिलर/परिवहनकर्ता द्वारा चावल की लाट सीधे प्रदान करने के पश्चात चावल का मूल्य तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत तथा निर्धारित दरों पर अन्य व्यय का भुगतान सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी/वित्त अधिकारी/सहायक वित्त अधिकारी द्वारा मिलर को संग्रह एजेन्सी द्वारा जारी किये गये मूवमेंट चालान की स्वीकृति और वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक द्वारा भेजे गये बिलों के आधार पर अभिस्वीकृति पत्र के साथ किया जायेगा। यदि संग्रह ऐजेन्सी द्वारा जारी किये गये इकनॉलेजमेन्ट आदि के आधार पर गुण-विनिर्दिष्टियों या प्रासंगिक व्यय की किसी मद में यदि भारत सरकार द्वारा कोई कटौती की जाती है, तो उसकी रिकवरी ब्याज सहित सम्बन्धित मिलर के आगामी बिलों/देयों से की जायेगी।

9.10 (क) प्रभावी एवं सुचारू रूप से चावल खरीद सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक चावल मिल को विपणन निरीक्षक/वरिष्ठ विपणन निरीक्षक के सीधे नियंत्रण व पर्यवेक्षण में सम्बद्ध किया जायेगा, जो प्रतिदिन उत्पादित चावल की गुणवत्ता एवं मात्रा का सत्यापन करेगा और उसकी रिपोर्ट केन्द्र प्रभारी को देगा।

9.10 (ख) केन्द्र प्रभारी स्वयं चावल मिलों में उत्पादित चावल की गुणवत्ता एवं मात्रा का सत्यापन करेगा और अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट उप सम्भागीय विपणन अधिकारी को प्रेषित करेगा।

9.10 (ग) उप सम्भागीय विपणन अधिकारी स्वयं प्रत्येक पक्ष में मिल के गोदाम में संग्रहित लेवी चावल की गुणवत्ता एवं मात्रा की जाँच करेगा । और जाँच के उपरान्त अपनी पाक्षिक रिपोर्ट सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को प्रस्तुत करेगा, जिसकी एक प्रति खाद्य आयुक्त को प्रेषित की जायेगी।

9.10 (घ) सम्भागीय विपणन अधिकारी स्वयं रैण्डम आधार पर 10 प्रतिशत चावल मिलों में उत्पादित चावल की गुणवत्ता व स्टीक का सत्यापन करेंगे तथा पाक्षिक रिपोर्ट सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को प्रस्तुत करेंगे, जिसकी एक प्रति खाद्य आयुक्त को प्रेषित की जायेगी।

9.10 (च) सम्भागीय खाद्य नियंत्रक मिल परिसर में लेवी चावल की गुणवत्ता एवं मात्रा की जाँच से सम्बन्धित रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे और उसकी मासिक रिपोर्ट खाद्य आयुक्त को प्रेषित करेंगे। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक स्वयं रैण्डम आधार पर 05 प्रतिशत चावल मिलों में सरकारी चावल के स्टीक का सत्यापन करेंगे।

9.10 (छ) समय-समय पर अपने अधीनस्थ स्टॉफ से रिपोर्ट न मिलने पर या अपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त होने की दशा में उससे उच्च अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह तत्काल उस मिल या अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आने वाली मिल में भण्डारित लेवी चावल के स्टीक की आकस्मिक जाँच करें तथा उसकी रिपोर्ट प्रेषित करें।

9.10 (ज) उत्पादित चावल की गुणवत्ता व स्टीक की जाँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चावल मिल के गोदाम में उत्पादित/संग्रहीत लेवी चावल के स्टीक की क्रॉस चैकिंग व्यवस्था की जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक एक जिले के स्टॉफ को दूसरे जिले में भेजकर रैण्डम आधार पर चावल मिलों में भण्डारित चावल की गुणवत्ता व स्टीक का सत्यापन करायेंगे।

9.11 संग्रह एजेन्सी द्वारा सम्प्रदान किये गये चावल का संयुक्त विश्लेषण भारतीय खाद्य निगम के तकनीकी सहायक एवं खाद्य विभाग के वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक के सहयोग से करके 24 घन्टे के अन्दर वाँछित प्रपत्र खाद्य विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। संग्रह ऐजेन्सी के डिपो पर भेजे गये चावल के नमूने भी सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/ विपणन निरीक्षक द्वारा लेकर सुरक्षित रखे जायेंगे।

9.12 खरीफ-खरीद सत्र 2007–08 में क्रय/प्राप्तकर्ता केन्द्र प्रभारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक- 3–अ एवं 3–ब) पर अपने केन्द्र पर क्रय/प्राप्त किये गये चावल की प्रविष्टि पंजिका संरक्षित की जायेगी। इस प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य स्वयं निर्मित प्रारूप पर कदापि सूचना नही रखी जायेगी। इसी प्रारूप पर विकेन्द्रीयकृत योजना के अन्तर्गत प्राप्तकर्ता स्टेट पूल प्रभारियों द्वारा भी पंजिका रखी जायेगी।

9.13 भुगतान प्रक्रिया के पर्यवेक्षण का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, सम्बन्धित सम्भागीय वितरण अधिकारी, वरिष्ठ वित्त अधिकारी/वित्त अधिकारी/सहायक वित्त अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का होगा तथा यदि इस प्रक्रिया के क्रियान्वयन में किसी भी अनियमितता अथवा दुर्विनियोग के कारण शासन को हानि होती है तो इस हेतु उक्त अधिकारी/कर्मचारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी/वित्त अधिकारी/सहायक वित्त अधिकारी (लेखा) [illegible] भुगतान तथा संग्रह एजेन्सी से प्राप्त भुगतान की [illegible] समीक्षा करेंगे और [illegible]

10 राज्य सरकार की संग्रह एजेन्सियों तथा भारतीय खाद्य निगम को लेवी चावल का सम्प्रदान -

10.1 [illegible] में भण्डारित किये जाने वाले लेवी/कस्टम मिल्ड चावल का [illegible] चावल के उपार्जन एवं पी०डी०एस० की आवश्यकता को ध्यान में रखते [illegible] परिवर्तन करना पड़े। खाद्य आयुक्त द्वारा मूवमेंन्ट प्लान जारी किया जायेगा।

[illegible] लेवी चावल क्रय की व्यवस्था, चावल मिलों/क्रय केन्द्रों का [illegible] एवं शासन को प्रेषित करेगें।

11. चावल की तौलाई :-

संग्रह एजेन्सी को चावल का ट्रक भेजने के पूर्व केन्द्र प्रभारी द्वारा ट्रक में लदे चावल का वजन उप सम्भागीय वितरण अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किये गये धर्म कांटे पर कराकर प्राप्त वजन की रसीद को सम्यक रूप से सत्यापित कर ट्रक के साथ संग्रह एजेन्सी को भेजा जायेगा। रसीद की दूसरी प्रति ट्रक ड्राइवर मिलर की ओर से अपने पास रखेगा। संग्रह एजेन्सी के डिपो पर ट्रक का वजन करने पर यदि दोनों में वजन का कोई अन्तर पाया जाता है या वजन में कोई विवाद [illegible] बाट माप निरीक्षक को सूचित किया जायेगा, जो सम्बन्धित धर्म कांटे पर जाकर उसका निरीक्षण करेगा और जाँच में जो वजन सही पाया जायेगा वही अन्तिम माना जायेगा।

12. प्रदेश के बाहर चावल का संचरण :-

लेवी देने के बाद अवमुक्त व्यापारी भाग का चावल मिलर द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा राज्य के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रिलीज प्रमाण-पत्र के आधार पर संचरण किया जायेगा।

13. चावल की खरीद के लिये लाट का निर्धारण

समस्त केन्द्रों पर एक समान यूनिफॉर्म मात्रा 50 किग्रा की भरती वाले बोरों में [illegible] की जायेगी। [illegible] 'प्रथम स्वागत' [illegible] [illegible] जायेगी।

14. संग्रह एजेन्सी के डिपो पर चावल की गुणवत्ता की जाँच

[illegible] की टीम को संग्रह एजेन्सी के डिपो पर तैनात किया जायेगा।

15. लेवी में खरीदे गये अवशेष चावल का निस्तारण :-

यदि गुण-विनिर्दिष्टियों के आधार पर संग्रह एजेन्सी द्वारा चावल की कोई लाट अस्वीकार कर दी जाती है या संग्रह एजेन्सी की [illegible] वहन किया जायेगा। संग्रह एजेन्सी के डिपो पर मिलर द्वारा प्रेषित लाट के अस्वीकृत होने की दशा में मिलर को [illegible] मिल गोदाम से संग्रह एजेन्सी के डिपो तक आने-जाने [illegible] परिवहन व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।

यदि उपरोक्त योजनान्तर्गत संग्रह एजेन्सी के डिपो में संग्रहीत चावल खरीद के दौरान गुणवत्ता में लापरवाही बरतने के कारण, [illegible] संग्रह के दौरान खराब होने पर जन वितरण के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है तो उक्त चावल का निस्तारण कार्यालय शासन के माध्यम से [illegible] वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक एवं सम्बन्धित संग्रह एजेन्सी के समान अनुपात पर सुनिश्चित की जायेगी।

16 क्रय केन्द्र से संग्रह एजेन्सी तक चावल का परिवहन

मिल गोदाम से संग्रह एजेन्सी के डिपो/गोदामों तक चावल का परिवहन सम्बन्धित चावल मिलर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा जिसके लिये परिवहन व्यय का भुगतान सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा [illegible] वर्ष 2006-2007 हेतु स्वीकृत परिवहन दरों पर किया जायेगा। परिवहन व्यय के आकलन हेतु सम्बन्धित चावल मिल से संग्रह एजेन्सी [illegible] [illegible] के अनुसार [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ताकि आवंटन के अनुरूप प्रथम चरण में प्राप्त संभाग को [illegible] [illegible] दूरस्थ गोदामों हेतु चावल का प्रेषण सुनिश्चित किया जा सके तत्पश्चात [illegible]

चूंकि गढ़वाल संभाग में चावल का उत्पादन कम होता है [illegible] [illegible] संभागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल से सम्पर्क कर चावल के प्रेषण [illegible] [illegible] दायित्व होगा कि वह प्राप्ति संभाग अर्थात संभागीय खाद्य नियंत्रक गढ़वाल [illegible] करायेंगे ताकि पर्वतीय क्षेत्र के आन्तरिक गोदामों पर सार्वजनिक वितरण प्रभावित न होने पाये ।

प्रथम भण्डारण आवश्यकता के पूर्ण होने पर द्वितीय भण्डारण व्यवस्था प्रारम्भ की जायेगी । यह भण्डारण व्यवस्था [illegible] [illegible] जा सकेगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति हेतु संभागीय खाद्य नियंत्रक अपने अपने कार्य क्षेत्र में एक जनपद से दूसरे जनपद के लिये चावल का आवंटन मितव्ययिता के आधार पर करेंगे ।

राईस मिलर, जो कि लेवी योजना के अन्तर्गत अपनी [illegible] की लाटों के संचरण हेतु परिवहन ठेकेदार भी है, द्वारा गढ़वाल संभाग के निर्धारित स्टेटपूल डिपोज पर चावल प्रेषण करने में मार्ग में पड़ने [illegible] वाणिज्य कर विभाग की चैक पोस्टों पर नियमानुसार प्रविष्टियां सुनिश्चित कराकर ही चावल [illegible]

प्रभारी इन प्रावधिष्टियों का अवलोकन करने उपरान्त ही [illegible] की प्राप्ति देना सुनिश्चित करेंगे। यदि भविष्य में इस प्रकार की [illegible] प्रकाश में आती है तो इसका पूर्ण दायित्व [illegible] स्टेटपूल गोदाम प्रभारी का होगा।

स्टेट पूल एवं केन्द्रीय पूल में चावल का सम्प्रदान साथ साथ किया जायेगा, [illegible] हेतु प्रभारियों द्वारा [illegible] इस प्रकार रखा जायेगा [illegible] होने पाये। [illegible] किसी प्रकार की [illegible] [illegible] आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग [illegible] [illegible] दण्डित किये गये हों अथवा जिनके विरुद्ध [illegible] प्रचलन में हो।

17. प्रासंगिक व्ययों की प्रतिपूर्ति :-

वर्ष 2007 08 में प्रासंगिक व्यय [illegible] किया जायेगा। इस सम्बन्ध में आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

18. चावल खरीद हेतु खाली बोरों की व्यवस्था :-

[illegible] जायेगी। यदि भविष्य में किसी भी स्टेटपूल गोदाम में निरीक्षण के [illegible] अधोमानक बोरे सम्प्रदान पाये जाते हैं तो सम्बन्धित [illegible]

19. चावल के भरे बोरों पर स्टेंसिलिंग, [illegible] और [illegible]

[illegible] बोरों पर मिलर द्वारा मिल [illegible] नम्बर, चावल की किस्म, शुद्ध भार तथा [illegible] संख्या और [illegible] रूप से अनिवार्यतः प्रत्येक बोरे पर स्टेंसिलिंग द्वारा अंकित किया जायेगा।

[illegible] मिलर द्वारा बोरों पर कोड नम्बर आदि अंकित न किये जाने पर उक्त लेवी चावल की डिलीवरी स्वीकार नहीं की जायेगी। भारत सरकार के निर्देशानुसार कोड संख्या हरे रंग से अंकित की जाये तथा स्टेंसिलिंग नीले रंग से की जायेगी। बोरे के मुँह पर हरे रंग से निशान लगाया जायेगा अथवा बोरे की सिलाई हेतु हरे रंग के धागों का

प्रयोग किया जायेगा इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र संख्या-15(10)/2003 PY-III, दिनांक 20.11.2005 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। जो कि रबी खरीद योजना 2007-08 हेतु जारी शासनादेश संख्या-19 भा०ख०/07/XIX-2/13 [illegible]/2007 दिनांक 02-04-2007 में भी अंकित है।

19.2 लेवी चावल के प्रत्येक बोरे पर [illegible] अंकित कराने की जिम्मेदारी मिल पर तैनात [illegible] निरीक्षक/विपणन निरीक्षक की होगी, [illegible] नियंत्रक द्वारा कठोर कार्यवाही की जायेगी।

19.3 [illegible] के मुँह पर [illegible] 15\10 [illegible] की रेक्सीन/कैनवास का [illegible] मिलर का नाम, [illegible] की किस्म आदि विवरण अंकित किया जायेगा।

20. चावल खरीद हेतु वित्त व्यवस्था :-

20.1 [illegible] 2007 [illegible] अधिकारों के अधीन वहन किये जायेंगे।

20.2 [illegible] सामान एवं यंत्र का उपयोग न कर लिया जाये। इसकी खरीद [illegible]

होगा कि मिलर्स को समय से भुगतान हो तथा सी०एम०एल० पर शासन को परिहार्य ब्याज का भुगतान न करना पड़े।

21. कठिनाइयों का निराकरण :-

लेवी चावल उद्ग्रहण से सम्बन्धित जारी की गयी इस शासकीय अधिसूचना अथवा [illegible] [illegible] किसी समय में कोई कठिनाई अनुभव की जाती है अथवा इस प्रयोजन के लिये स्थिति स्पष्ट करने के लिए आवश्यकता होती है [illegible] आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, [illegible] [illegible] जायेगा।

22. चावल खरीद एवं डिलीवरी और निरीक्षण की प्रगति की समीक्षा

22.1 [illegible] की प्रगति की समीक्षा [illegible] सर्कलित सूचना नियमित रूप से शासन को भेजी जायेगी।

22.2 लेवी स्कीम की देख रेख करने वाले पर्यवेक्षण अधिकारी खरीद केन्द्रों का समय-समय पर निरीक्षण करेंगे।

22.3 खरीफ-खरीद सत्र 2007–08 में धान/चावल की गुणवत्ता की [illegible] रिपोर्ट प्रतिमाह शासन को उपलब्ध करायेंगे। यह मानक [illegible] [illegible]

23. चावल खरीद के आँकड़ों का प्रेषण :-

23.1 [illegible] खरीद की प्रगति की सूचना [illegible] निर्धारित प्रारूप पर [illegible] [illegible] जायेगी।

23.2 [illegible] खाद्यान्न सम्बन्धित योजनाओं के लाभार्थियों को निर्गमित [illegible] किया गया है [illegible] उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि समय से [illegible] प्राप्त करने सम्बन्धी कार्यवाही की जा सके।

23.3 सेन्ट्रल पूल योजनान्तर्गत भण्डारित चावल का निर्गमन सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा भारत [illegible] विभिन्न योजनाओं के मासिक आवंटन के अनुरूप, सम्बन्धित जनपद के उप सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा जारी रिलीज आर्डर के आधार पर किया जायेगा। [illegible] बिना रिलीज आर्डर के डिपो से चावल का निर्गमन कदापि नहीं होगा।

23.4 सम्भागीय लेखाधिकारी चावल की खरीद एवं मिलर को भुगतान के विवरण का [illegible] शासनादेश के साथ संलग्न 4 में दिये गये प्रारूप में वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड को देंगे।

भवदीय,

(डा० रणवीर सिंह)
सचिव।

संख्या [illegible] (1)/XIX/लेवी चावल क्रय/2007-08 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

01- मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल [illegible]
02 [illegible]
03 आयुक्त/अपर आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड।
04 नियन्त्रक, [illegible] विभाग, उत्तराखण्ड।
05 [illegible] क्षेत्रीय प्रबन्धक, भा०खा०नि०, उत्तराखण्ड।
06- सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल/कुमायूं सम्भाग।
07 उपसम्भागीय विपणन अधिकारी, देहरादून / हरिद्वार / उधमसिंहनगर / नैनीताल /पौड़ी गढ़वाल।
08 वित्त नियन्त्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड।
09- संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली
10- सम्भागीय वित्त अधिकारी, गढ़वाल/कुमायूं सम्भाग।
11- क्षेत्रीय प्रबन्धक, केन्द्रीय भण्डारण निगम, उत्तराखण्ड।
12 क्षेत्रीय प्रबन्धक, राज्य भण्डारण निगम, उ०प्र०, [illegible]
13- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0, देहरादून।

आज्ञा से,

([illegible] सिंह)
अपर सचिव

संख्या [illegible] (1)/XIX/लेवी चावल क्रय/2007-08 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

01- प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल।
02 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन
03 प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन
04 निजी सचिव मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव [illegible]
05 निजी सचिव खाद्य मंत्री को मा0 खाद्य मंत्री जी [illegible]
06 गार्ड फाइल।
07- [illegible]

आज्ञा से,

([illegible] सिंह)

संलग्नक 1

घोषणा पत्र

(बासमती तथा पूसा बासमती (1) चावल निर्यातक/गैर निर्यातक इकाइयों के लिये)

1- दिनांक

2- मिल का नाम

3- केन्द्र का नाम/जनपद/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक

4- मिल में संग्रहित बासमती/ पूसा बासमती (1)चावल की कुल मात्रा

5- (अ) मिल द्वारा निर्यात की जाने वाली मात्रा

(ब) मिल द्वारा गैर निर्यात (स्थानीय बाजार) में विक्रय किये जाने वाली मात्रा

6- मिल में अवशेष बासमती / पूसा बासमती (1) चावल की अवशेष मात्रा

7- प्रापकर्ता का नाम व पता

8- ट्रक संख्या/ ड्राइवर का नाम

9- निर्यात की जाने वाली मात्रा के सम्बन्ध में [illegible] लोडिंग फार्म-15 पत्र संलग्न किये जाते हैं

10- (अ) विगत माह में बासमती तथा पूसा बासमती (1) चावल की निर्यात की गयी कुल मात्रा

(ब) विगत माह में गैर निर्यात (स्थानीय बाजार) [illegible]

11- मिल द्वारा निर्मित अब तक गैर निर्यात (स्थानीय बाजार) में बिक्री की गयी कुल मात्रा

12- (अ) मिल द्वारा अब तक निर्यात की गयी कुल मात्रा

(ब) मिल द्वारा अब तक गैर निर्यात (स्थानीय बाजार) में बिक्री की गयी कुल मात्रा

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे ज्ञान में [illegible] सही है [illegible]

हस्ताक्षर

केन्द्र प्रभारी का नाम हस्ताक्षर सहित

मिल का नाम व पता
(मुहर सहित)

संलग्नक–2

मूवमेन्ट चालान

विभाग का नाम :– खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल ।

सम्भाग :–

जनपद :–

बुक संख्या............ क्रमांक..................................

1. प्रेषण की तिथि/समय ....
2. प्रेषक केन्द्र का नाम ....
3. प्राप्तकर्ता केन्द्र का नाम ....
4. ट्रांसपोर्टर का नाम ....
5. ट्रक संख्या ....
6. ट्रक चालक का नाम ....
7. खाद्यान्न का नाम एवं किस्म ....
8. बोरों की संख्या एवं किस्म ....
9. प्रेषित नेट वजन ....
10. लाट संख्या ....
11. विश्लेषण परिणाम ....
12. प्राप्तकर्ता केन्द्र पर प्राप्ति तिथि/समय ....

प्रेषक केन्द्र के निरीक्षक का नाम,
हस्ताक्षर एवं सील

प्राप्ति डिपो/गोदाम पर प्राप्त
खाद्यान्न का विवरण

चालक/परिवहन ठेकेदार के हस्ताक्षर

प्राप्तकर्ता/अधिकारी का
नाम, हस्ताक्षर एवं सील

(संलग्नक - 3-ब)

सेन्ट्रल पूल के अंतर्गत धान्य खरीद वर्ष 2005-2006 में प्रेषण केन्द्र पर रखी जाने वाली विश्लेषण पंजिका का प्रारूप

केन्द्र का नाम -

मात्रा (क्विंटल में)

क्रम संख्या	प्रेषण की दिनांक	केन्द्र का नाम, जहाँ प्रेषित किया गया	मिल का नाम	चालान संख्या व दिनांक	लॉट संख्या	ट्रक संख्या	प्रेषित मात्रा		Foreign Matter 0.5%	Broken 25.0%	Chalky 5.0%	Damage 2.00%	Discolour 3.0%	Red 3.0%	De-husk 12.0%	Moisture 14.0%	Sing Of Miller	Sing Of S.M.I/ Incharge
							कट्टे	मात्रा										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

सेन्ट्रल पूल के अंतर्गत धान्य खरीद वर्ष 2005-2006 में प्राप्ति केन्द्र पर रखी जाने वाली विश्लेषण पंजिका का प्रारूप (संलग्नक - 3-अ)

केन्द्र का नाम -

मात्रा (क्विंटल में)

क्रम संख्या	प्राप्ति तिथि	प्रेषक केन्द्र का नाम	मिल का नाम	चालान संख्या व दिनांक	लॉट संख्या	ट्रक संख्या	प्रेषित मात्रा		प्राप्त मात्रा		Foreign Matter 0.5%	Broken 25.0%	Chalky 5.0%	Damage 2.00%	Discolour 3.0%	Red 3.0%	De-husk 12.0%	Moisture 14.0%	Sing Of M.I.	Sing Of S.M.I/ Incharge	Stored at		RESULT	
							कट्टे	मात्रा	कट्टे	मात्रा											Godown No	Stag No	Receipt	Reject
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

संलग्नक-4

चावल की खरीद एवं मिलर को भुगतान का विवरण
खरीफ क्रय योजना 2006-07

सम्भाग का नाम

विवरण की तिथि-

(मात्रा मी०टन में, धनराशि लाख रूपये में)

क्रमांक	विवरण	मात्रा	धनराशि
1	कुल क्रय मात्रा		
2	भुगतान की धनराशि		
3	भा०खा०नि० को प्रेषित मात्रा		
4	स्टेटपूल में संग्रहीत मात्रा		
	एस०डब्लू०सी०		
	सी०डब्लू०सी०		
5	भा०खा०नि० से प्राप्त एकनालेजमेन्ट		
6	भा०खा०नि० पर अवशेष एकनालेजमेन्ट की मात्रा		
7	भा०खा०नि० को प्रेषित बिलों की मात्रा		
8	भा०खा०नि० को प्रेषित बिलों की धनराशि		
9	भा०खा०नि० से प्राप्त भुगतान की धनराशि		
10	भा०खा०नि० पर अवशेष भुगतान की मात्रा		
11	भा०खा०नि० से अवशेष भुगतान की धनराशि		
12	भा०खा०नि० द्वारा की गई कटौती की धनराशि		
13	भा०खा०नि० द्वारा वापस बिलों की मात्रा		
14	भा०खा०नि० द्वारा वापस बिलों की धनराशि		

संभागीय लेखाधिकारी,
........संभाग........।

::मूवमैन्ट प्लान::

मण्डारण एवं संचरण व्यवस्था (मात्रा मी० टन में)

[illegible]ग नाम	केन्द्र/जनपद का नाम जिनको चावल की आपूर्ति की जानी है	स्टेट पूल के अन्तर्गत भण्डार गृह का नाम	उपयोग में लाये जाने वाली क्षमता	भण्डार गृह से सम्बद्ध किये जाने वाले चावल क्रय केन्द्र
कुमाँयू सम्भाग	पिथौरागढ़/चम्पावत/ उधमसिंह नगर	टनकपुर (विभागीय)	3500	टनकपुर, खटीमा, नानकमत्ता, सितारगंज
		सितारगंज SWC	1500	सितारगंज, किच्छा I, II
		नानकमत्ता SWC	1500	नानकमत्ता, सितारगंज
		खटीमा CWC	6000	खटीमा, सितारगंज/नानकमत्ता
	नैनीताल/अल्मोड़ा/बागेश्वर	खत्याड़ी SWC	4000	रूद्रपुर-I, II, किच्छा-I, II
		हल्द्वानी SWC	2000	हल्द्वानी, रूद्रपुर I, II,किच्छा- I, II
		कमलुआगांजा SWC	4000	रूद्रपुर-I, II, किच्छा- I, II, सितारगंज, हल्द्वानी
	उधमसिंह नगर/ नैनीताल/ पौड़ी गढ़वाल	किच्छा SWC	1500	किच्छा- I, II
		रूद्रपुर SWC	4000	रूद्रपुर- I, II
		काशीपुर SWC	2500	काशीपुर- I, II/बाजपुर
		गदरपुर SWC	4000	गदरपुर/बाजपुर
		जसपुर CWC	3000	जसपुर/काशीपुर- I, II
		रामनगर विभागीय	1000	काशीपुर- I, II /रामनगर/बाजपुर
		रामनगर SWC	3000	काशीपुर- I, II /रामनगर/बाजपुर
	योग.-		**41500**	
गढ़वाल सम्भाग	पौड़ी गढ़वाल	कोटद्वार SWC	1500	जसपुर/काशीपुर I, II, रूद्रपुर I, II, कोटद्वार
		कोटद्वार (विभागीय)	500	जसपुर/काशीपुर I,II, रूद्रपुर, कोटद्वार
	पौड़ी/चमोली/रूद्रप्रयाग	श्रीनगर वाया ऋषिकेश	4000	काशीपुर-I,II/किच्छा I, II/सितारगंज
	हरिद्वार/बहादराबाद	ज्वालापुर (विभागीय)	2000	काशीपुर II/किच्छा-I/रूद्रपुर I,II, बाजपुर, ज्वालापुर
		ज्वालापुर (SWC)	4000	जसपुर, किच्छा I, II, काशीपुर II, बाजपुर, ज्वालापुर
	लक्सर/रूड़की/मंगलौर/ भगवानपुर	रूड़की (विभागीय)	500	लक्सर, रूड़की, काशीपुर- I, II किच्छा I, जसपुर
	पौड़ी/टिहरी/उत्तरकाशी/ देहरादून	ऋषिकेश (विभागीय)	500	जसपुर/ गदरपुर /रूद्रपुर I, II/ बाजपुर, किच्छा- I, II
	देहरादून/टिहरी	देहरादून/नकरौंदा (विभागीय)	2500	काशीपुर I, II/गदरपुर, बाजपुर, जसपुर
	देहरादून/टिहरी/उत्तरकाशी	विकासनगर SWC	2000	जसपुर/रूद्रपुर I, II, किच्छा I, II गदरपुर/बाजपुर
		विकासनगर (विभागीय)	1000	जसपुर/रूद्रपुर- I, II /गदरपुर/बाजपुर
	डोईवाला	डोईवाला (विभागीय)	250	काशीपुर I, II, जसपुर
	योग:-		**18750**	
	महायोग:-		**60250**	

चूँकि खरीफ सत्र 2006-07 में सी०डब्ल्यू०सी०/एस०डब्ल्यू०सी० की संगत क्षमता एक वर्ष के लिए आरक्षित की गयी थी। पूरे वर्ष में आरक्षित की गयी क्षमता अवधि समाप्त होने पर [illegible] नई क्षमता 2007-08 के लिये एक वर्ष के लिये आरक्षित समझी जायेगी।

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव।